संयुक्त राज्य अमेरिका का श्रम विभाग

बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों के बारे में 2022 के निष्कर्ष

भारत

2022 में, भारत ने बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों को खत्म समाप्त करने के प्रयासों में मध्यम प्रगति की। रेलवे सुरक्षा बल ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जिसने रेलगाड़ियों पर और रेलवे स्टेशनों पर होने वाली मानव तस्करी से 183 बच्चों को बचाया। हरियाणा में, पुलिस विभाग ने 1,760 बच्चों को बाल श्रम से हटाया बचाया, जबकि हरियाणा राज्य की मानव तस्करी विरोधी इकाई ने 378 बाल तस्करी पीड़ितों को उनके परिवारों से मिलाया। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना ने 13,271 बच्चों को बाल श्रम से हटा बचा कर उनका पुनर्वास किया। फिर भीहालांकि, भारत में बच्चे बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों के ख़तरे जोखिम में हैं, जिनमें व्यावसायिक यौन शोषण भी शामिल सम्मिलित है जो कभी-कभी मानव तस्करी के परिणाम-स्वरूप होता है। बच्चे परिधान उत्पादन, पत्थरों के उत्खनन और ईंटें बनाने में भी संकटमयखतरनाक कार्य करते हैं। मौजूदा तात्कालिक जोख़िमी खतरनाक कार्य निषेधों में वे सभी व्यवसाय सम्मिलित शामिल नहीं हैं जिनमें बच्चे लंबे समय तक असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर वातावरण में काम करते हैं, और बच्चों को अवैध रूप से काम पर रखने के लिए दंड उल्लंघनों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं अपर्याप्त हैं। पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों के बीच विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार की रिपोर्टें, और उनके परिणाम-स्वरूप पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम अपराधों के मुकदमों में देरी चिंता का विषय बनी हुई है। पर्याप्त सरकारी निगरानी के बिना चलने वाले आश्रय गृहों में बच्चों को व्यावसायिक यौन शोषण और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अतिरिक्त, भारत सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में संशोधन के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों को विदेशी दान पर प्रतिबंध लगाना जारी रखा है, जिनमें से कई मानव और बाल अधिकारों के मुद्दों विषयों पर काम करते हैं। अधिकारियों ने कभी-कभी इस अधिनियम को रद्द करने या निरस्त करने की धमकी का प्रयोग इस्तेमाल उन नागरिक समाज संगठनों को चुप कराने या प्रतिबंधित करने के लिए किया है, जो संभवतः बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों सहित मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं।

बाल श्रम खत्म समाप्त करने के लिए सुझाई गई सरकारी कार्यवाहियां

क्षेत्र	सुझाई गई कार्यवाही	सुझाव का/के वर्ष
क़ानूनी ढांचा	यह सुनिश्चित किया जाए कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जोखिमपूर्ण कामों पर निषेध हो, जिनमें ऐसे क्षेत्र सम्मिलितशामिल हैं जिनमें बच्चे असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में लंबी अवधि तक काम करते हैं, जैसे कि कताई मिलें, वस्त्र-उत्पादन परिधान-उत्पादन, कालीन निर्माण, और घरेलू काम।	2016 – 2022
	यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत के बाल तस्करी कानूनों में बाल तस्करी के अपराध के लिए धमकियों, बल प्रयोग या दबाव की आवश्यकता न हो।	2022
	वह क़ानूनी दस्तावेज़ प्रकाशित किया जाए जो भारत की सशस्त्र सेना में स्वैच्छिक भर्ती के लिए न्यूनतम आयु स्थापित करता है।	2018 – 2022

बाल श्रम खत्म समाप्त करने के लिए सुझाई गई सरकारी कार्यवाहियां		
क्षेत्र	**सुझाई गई कार्यवाही**	**सुझाव का/के वर्ष**
प्रवर्तन	लगभग 52.38 करोड़ 523.8 मिलियन लोगों के श्रम बल की पर्याप्त ढंग से निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 34,922 श्रम निरीक्षकों को नियुक्त किया जाए।	2021 – 2022
	श्रम क़ानून प्रवर्तन के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े एकत्र और प्रकाशित किए जाएं जिनमें श्रम-निरीक्षणालय के लिए धन का आंकड़ा, श्रम-निरीक्षकों की संख्या, किए गए निरीक्षणों की संख्या और प्रकार क़िस्म, यह संख्या कि कितने बाल-श्रम उल्लंघन पाए गए, और उन बाल-श्रम उल्लंघनों की संख्या सम्मिलित हो जिनके लिए अर्थदंड लगाए और वसूल किए गए शामिल हो जिनके लिए जुर्माने लगाए और वसूल किए गए।	2014 – 2022
	यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रम कानून निरीक्षकों और आपराधिक कानून जांचकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण मिले।	2019 – 2022
	सुनिश्चित किया जाए कि क़ानून प्रवर्तन अधिकारी बाल श्रम अपराधों की जांच करते हैं और श्रम से जुड़े विषयों सहित,बंधुआ मजदूरी से जुड़े मामलों सहित, मामलों में समयबद्ध तरीके से पुलिस शिकायतें दर्ज करते हैं। ढंग से पुलिस शिकायतें दर्ज करते हैं।	2021 – 2022
	सुनिश्चित किया जाए कि उल्लंघनों को सार्थक रूप से रोकने के लिए, बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों सहित, बाल श्रम से संबंधित उल्लंघनों के लिए दृढ़ता से दंड लगाया जाए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि आपराधिक अधिकारियों और सामाजिक सेवाओं के बीच एक पारस्परिक दुतरफ़ा परामर्श व्यवस्था मौजूद हो।	2021 – 2022
	आपराधिक जांचकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण, आपराधिक जांचों की संख्या, पाए गए उल्लंघनों की संख्या, शुरू किए गए मुक़दमों की संख्या और दोषियों की संख्या सहित आपराधिक क़ानून प्रवर्तन प्रयासों पर सभी राज्य सरकारों से राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित किये जायें डेटा एकत्र और प्रकाशित किया जाए।	2009 – 2022
	यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव तस्करी विरोधी इकाइयाँ पूरी तरह से स्थापित हैं।	2019 – 2022
	बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम के तहत बंधुआ मजदूरी और श्रम तस्करी से संबंधित कानूनों को लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव तस्करी से बच कर निकले लोगों को कानून के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाए।	2021 – 2022
	सुनिश्चित किया जाए कि बंधुआ श्रम के विषयों मजदूरी के मामलों में तेजी से कार्रवाई हो रही है और राज्य सरकारें बंधुआ श्रमिकमजदूर पीड़ितों के लिए रिहाई प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं, जिसमें बंधुआ मजदूरी श्रम से मुक्त लोगों के लिए पूरी भरपाई भी सम्मिलित पूरा मुआवजा भी शामिल है।	2021 – 2022

बाल श्रम खत्म समाप्त करने के लिए सुझाई गई सरकारी कार्यवाहियां		
क्षेत्र	**सुझाई गई कार्यवाही**	**सुझाव का/के वर्ष**
	सुनिश्चित किया जाए कि जो क़ानून प्रवर्तन अधिकारी जो मानव तस्करी से बचे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या मानव तस्करी के मामलों को दर्ज करने में विलम्ब देरी करते हैं, वे उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करें।	2021 – 2022
	यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत के सभी राज्य यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों के लिए अनिवार्य, मुकद्दमा अभियोग चलाने के लिए 1 वर्ष की समयसीमा का पालन करें।	2022
	मानव तस्करी के मामलों के लिए अभियोजन दर को बढ़ाया जाए और दोषसिद्धि के बाद पर्याप्त कड़े दंड कड़ी सज़ा की मांग की जाए।	2021 – 2022
	यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय और राज्य स्तर पर राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्ति कृषि और ईंट भट्ठा श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी में रखने के लिए अभियोजन का सामना करे।	2021 – 2022
	यह सुनिश्चित किया जाए कि बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों में मदद करने वाले या इसमें भाग लेने वाले सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह उत्तरदायी ठहराया जाए, जिसमें वे अधिकारी भी शामिल हैं जो क़ानून से सुरक्षा के बदले में रिश्वत लेते हैं।	2018 – 2022
	सुनिश्चित किया जाए कि अदालतों में उत्तरजीवी सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम अदालतों के न्यायाधीशों और अभियोजकों के पास बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण से जुड़े अपराधों पर पर्याप्त प्रशिक्षण या विशेषज्ञता है।	2020 – 2022
	यह सुनिश्चित किया जाए कि <155>जोगिनी </155>प्रणाली प्रथा के अभ्यास पर रोक लगाने वाले कानूनों को पर्याप्त रूप से लागू किया गया है।	2022
	सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित, और निजी तौर पर संचालित आश्रय गृहों में संदिग्ध दुर्व्यवहार और दुराचार की जांच की जाए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी आश्रय गृह पंजीकृत हैं और पर्याप्त निरीक्षण के अधीन हैं, उनमें बच्चों को शारीरिक और यौन शोषण से बचाने के लिए तंत्र मौजूद हैं, और सभी स्टाफ सदस्य दुर्व्यवहार के संकेतों को पहचानने और रिपोर्ट करने के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।	2018 – 2022
सरकारी नीतियां	जिन राज्यों और क्षेत्रों के पास वर्तमान में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कार्य योजना नहीं है उन्हें ऐसी योजनाओं को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।	2011 – 2022
	सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, और बाल श्रम पर राज्य कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए गतिविधियाँ की जाती हैं और इन योजनाओं को लागू करने के लिए की गई गतिविधियों के परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं।	2018 – 2022

बाल श्रम खत्म समाप्त करने के लिए सुझाई गई सरकारी कार्यवाहियां		
क्षेत्र	**सुझाई गई कार्यवाही**	**सुझाव का/के वर्ष**
सामाजिक कार्यक्रम	यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रवर्तन कार्रवाइयां, समन्वय प्रयास, नीतियां और कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा द्वारा सूचित किए जाते हैं।	2022
	निचली जातियों के बच्चों सहित शिक्षा तक समान और व्यापक पहुंच को सुनिश्चित किया जाए, दूरस्थ शिक्षा संपत्तियों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाएं और बच्चों के साथ भेदभाव और उनके उत्पीड़न में शामिल संलग्न शिक्षा अधिकारियों को दंडित किया जाए।	2014 – 2022
	शिक्षा के प्रति बाधाओं को, विशेष रूप से शरणार्थी बच्चों तथा वंचित समुदायों के बच्चों के लिए बाधाओं को कम किया जाए और यह काम अध्यापकों को पर्याप्त प्रशिक्षण देकर, लड़कियों के लिए अलग और स्वच्छतापूर्ण शौचालयसाफ़ सुथरे गुसलख़ाने उपलब्ध प्रदानकराके करके, तथा उपलब्ध स्कूलों की संख्या बढ़ाकर किया जाए, विशेष रूप से शहरी मलिन बस्तियों में जहाँ अपर्याप्त आधारिक संरचना विकल्प शिक्षा तक की पहुँच को सीमित करते हैं।	2021 – 2022
	यह सुनिश्चित किया जाए कि शोषणकारी बाल श्रम के बारे में आंकड़े एकत्रित किए जाएं और निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाएं, जिनमें ज़िला स्तर पर बंधुआ श्रम सर्वेक्षणों से मिले निष्कर्ष तथा राष्ट्रीय जनगणना से प्राप्त कच्चे आंकड़े शामिल हैं।	2009 – 2022
	यह सुनिश्चित किया जाए कि बाल श्रम की स्थिति से हटाए गए बच्चों को बाद में पर्याप्त देखभाल सेवाएं प्राप्त हों और उन्हें फिर से श्रम बाजार में पुन: प्रवेश करने से रोका जाए।	2022
	सुनिश्चित किया जाए कि आश्रय गृह सुरक्षित हैं और गैर-उत्तरजीवी मेहमानों को आवास प्रदान करके हॉस्टलों के रूप में काम नहीं कर रहे हैं।	2021 – 2022
	यह सुनिश्चित किया जाए कि बाल श्रम शोषण को रोकने के लिए काम कर रहे नागरिक समाजों पर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम का प्रभाव कम से कम न्यूनतम हो।	2022
	यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव तस्करी आश्रयों के लिए फंड धन पर्याप्त हो और समय पर जारी किया जाए।	2022